**जिला–मधुबनी** **दिनांक–18.06.2026**

**न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, झंझारपुर, मधुबनी**
**सत्र वाद संख्या : 328 / 2023**
**साधारण पंजी वाद संख्या–1916 / 2020**
**फुलपरास थाना कांड सं0–494 / 2020**

सरकार (द्वारा नागमनी कुमार पिता–जय प्रकाश यादव, सूचक)
साकिन–सिसवा बरही, थाना–फुलपरास, जिला–मधुबनी

..... अभियोजन

**बनाम**

01. सचिन कुमार यादव पिता–बेचन यादव (उम्र लगभग–22 वर्ष),
02. जवाहर यादव पिता–वेशो यादव (उम्र लगभग–62 वर्ष),
साकिनान–सिसवा बरही, थाना–फुलपरास, जिला–मधुबनी

..... अभियुक्तगण

**अपराध की तिथि**:–09.10.2020
**प्राथमिकी की तिथि**:–13.10.2020
**आरोप पत्र की तिथि**:–22.04.2023
**संज्ञान की तिथि**:–09.05.2023
**दौरा सुपुर्दगी की तिथि**:–09.05.2023
**आरोप गठन की तिथि**:–18.09.2023
**साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि**:–18.10.2023
**निर्णय पर नियत करने की तिथि**:–04.06.2026
**निर्णय की तिथि**:–18.06.2026
**सजा देने की तिथि, यदि कोई हो** :–
अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री देवशंकर झा (सहायक लोक अभियोजक)
अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री प्रयाग लाल यादव

**निर्णय तिथि–18.06.2026**

उपस्थित : अनिल कुमार राम,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,तृतीय,
झंझारपुर, मधुबनी

**नि र्ण य**

**01.** प्रस्तुत थाना कांड के उपरोक्त नामजद अभियुक्तगण 01. सचिन कुमार यादव एवं 02. जवाहर यादव का भा0दं0वि0 की धारा–147, 148, 323 / 149, 341 / 149, 325 / 149, 307 / 149, 452 / 149, 427 / 149, 504 / 149, 506 / 149 के अंतर्गत विचारण किया गया है।

**02.** अभियोजन कहानी का अंतर्सार, दिनांक–09.10.2020 को शाम करीब 5:00 बजे सूचक अपनी मां के साथ घरेलू कार्य कर रहा था तभी बेचन यादव, शंभू कुमार, विपीन कुमार, सचिन कुमार, जवाहर यादव, नागे यादव, भागे यादव, जागे यादव, रिगा देवी, सरस्वती देवी लाठी–डंड़ा, फरसा, कुल्हाड़ी लेकर आये तथा घर में घुसकर पूर्व में किये गये केस को लेकर गाली–गलौज करने लगे। सूचक की मां को लाठी से मारकर जमीन पर पटककर साड़ी, ब्लाउज फाड़ दिया, दरवाजा तोड़ दिया। विपीन कुमार, भागे यादव ने कुल्हाड़ी से मारकर सूचक का सिर फाड़ दिया। आलमारी का ताला तोड़कर मुदालहगण ने पचास हजार रूपया नगद, दो लाख रूपये का जेवर लूट लिया तथा कुर्सी, पलंग आदि तोड़ दिया।

**03.** सूचक के उक्त लिखित आवेदन के आधार पर थाना फुलपरास में भा0दं0वि0 की धारा–452 / 341 / 323 / 307 / 354बी / 337 / 379 / 427 / 504 / 506 / 34 के अंतर्गत थाना कांड संख्या–494 / 2020 दिनांकित–13.10.2020 पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी। विवेचनोंपरांत, विवेचक ने घटना को प्रथमदृष्टया सत्य पाते हुए नामजद अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक–22.04.2023 को भा0दं0वि0 की धारा–147 / 148 / 149 / 341 / 323 / 325 / 307 / 427 / 452 / 504 / 506 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या–90 / 2023 न्यायालय में समर्पित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपपत्रित अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोंक्त धाराओं में संज्ञान लिया गया।

**04.** अभियुक्तगण की उपस्थिति के पश्चात् एवं पुलिस कागजात की आपूर्ति के पश्चात् विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के आधार पर सत्र न्यायालय को विचारण हेतु दौरा सुपुर्द किया गया।

**05.** अभियुक्तगण के विरूद्ध का भा0दं0वि0 की धारा–147, 148, 323 / 149, 341 / 149, 325 / 149, 307 / 149, 452 / 149, 427 / 149, 504 / 149, 506 / 149 के अंतर्गत दिनांक–18.09.2023 को दंडनीय अपराध के लिए आरोप का गठन किया गया तथा उसकी विशिष्टयां अभियुक्तगण को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तों ने दोषी होने का अभिवाक् नहीं किया तथा वाद विचारण का दावा किया।

**06.** निर्दोषिता तथा मिथ्या आरोप ही प्रतिरक्षा पक्ष का बचाव है। धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में अभियुक्तगण ने आरोपित आरोपों से इंकार किया है तथा अपने को निर्दोष बताया है।

**07.** अब इस वाद में विनिश्चय हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है ?

## मंतव्य

**08.** अभियोजन पक्ष द्वारा अपने आरोपों के समर्थन में एक मात्र मौखिक साक्षी सूचक नागमणि कुमार को परीक्षित कराया गया है, उक्त साक्ष्य के अलावा अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में लिखित आवेदन पर सूचक नागमणि कुमार के हस्ताक्षर को प्रदर्श–01 अंकित करवाया गया है।

**09.** बचाव पक्ष द्वारा किसी भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**10.** इस आपराधिक वाद में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–304बी / 34, 201 / 34 के अंतर्गत विरचित किया गया है। विरचित आरोप के बिन्दु पर इस तथाकथित घटना के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करें तो स्पष्ट होता है कि अभियोजन द्वारा साक्षी के रूप में 02 मौखिक साक्षी को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में लिखित आवेदन पर सूचक नागमणि कुमार के हस्ताक्षर को प्रदर्श–01 अंकित करवाया गया है।

**11.** लिखित आवेदन के अनुसार, दिनांक–09.10.2020 को शाम करीब 5:00 बजे सूचक अपनी मां के साथ घरेलू कार्य कर रहा था तभी बेचन यादव, शंभू कुमार, विपीन कुमार, सचिन कुमार, जवाहर यादव, नागे यादव, भागे यादव, जागे यादव, रिगा देवी, सरस्वती देवी लाठी–डंड़ा, फरसा, कुल्हाड़ी लेकर आये तथा घर में घुसकर पूर्व में किये गये केस को लेकर गाली–गलौज करने लगे। सूचक की मां को लाठी से मारकर जमीन पर पटककर साड़ी, ब्लाउज फाड़ दिया, दरवाजा तोड़ दिया। विपीन कुमार, भागे यादव ने कुल्हाड़ी से मारकर सूचक का सिर फाड़ दिया। आलमारी का ताला तोड़कर मुदालहगण ने पचास हजार रूपया नगद, दो लाख रूपये का जेवर लूट लिया तथा कुर्सी, पलंग आदि तोड़ दिया।

**12.** उक्त बिन्दु पर अभियोजन द्वारा एक मात्र साक्षी सूचक नागमणि कुमार को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण में घटना का समर्थन किया है परंतु अभियोजन के द्वारा स्वतंत्र साक्षी या अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है जिससे प्राथमिकी के तथ्य साबित नहीं हो सका है। अभियोजन के द्वारा चिकित्सक को परीक्षित कराने में असफल रहा है जिससे जख्म प्रतिवेदन साबित नहीं हो सका है। इसी प्रकार अभियोजन के द्वारा विवेचक को परीक्षित नहीं कराया है जिससे घटनास्थल एवं आरोप पत्र साबित नहीं हो सका है। अभियोजन को पर्याप्त समय, चेतावनी तथा न्यायालय द्वारा प्रक्रिया निर्गत करने के बाद भी अभियोजन द्वारा स्वतंत्र साक्षी, चिकित्सक, विवेचक

सहित अन्य किसी महत्वपूर्ण साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिससे अभियोजन के द्वारा पूर्णतः प्राथमिकी, जख्म प्रतिवेदन, घटनास्थल एवं आरोप पत्र के तथ्यों को साबित करने में असफल रहा है।

**13.** इस तरह अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी के मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण एवं लिखित आवेदन में वर्णित तथ्यों में परस्पर भारी विरोधाभास है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–147, 148, 323/149, 341/149, 325/149, 307/149, 452/149, 427/149, 504/149, 506/149 के आवश्यक तत्वों की पूर्ति नहीं की गयी है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष, मुदालहगण के विरूद्ध आरोपित धाराओं को संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है तथा इसका लाभ बचावपक्ष को न्यायहित में दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

**14.** उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों एवं अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य एवं वाद की परिस्थितियों के विवेचनोंपरांत इस न्यायालय का यह अभिमत है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–147, 148, 323/149, 341/149, 325/149, 307/149, 452/149, 427/149, 504/149, 506/149 के आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा हैं।

## आ दे श

**15.** अभियुक्तगण **01. सचिन कुमार यादव** पिता–बेचन यादव, **02. जवाहर यादव** पिता–वेशो यादव, साकिनान–सिसवा बरही, थाना–फुलपरास, जिला–मधुबनी का भा0द0वि0 की धारा–147, 148, 323/149, 341/149, 325/149, 307/149, 452/149, 427/149, 504/149, 506/149 के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर रिहा किया जाता है तथा उनके जमानतदारों अपने जमानत दायित्वों से मुक्त किये जाते हैं। अभियुक्त सचिन कुमार यादव इस वाद में उपस्थापन पर है। कार्यालय अभियुक्त के कारा से निर्मुक्ति हेतु तत्काल उपस्थापन रिकॉल आदेश निर्गत करें तथा साथ–ही–साथ निर्णय की प्रति जिला दंडाधिकारी, मधुबनी को यथाशीघ्र प्रेषित करें।

**यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हिन्दी में पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया गया।**

**(लेखापित एवं शुद्धिकृत)** **लेखापित**

**(अनिल कुमार राम)**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
झंझारपुर,मधुबनी
18.06.2026

**(अनिल कुमार राम)**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,तृतीय
झंझारपुर,मधुबनी
18.06.2026